



राजस्थान की जनजातियां: उनमें हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक समाजशास्त्री अध्ययन।

Rajesh Kumar Yadav

Assistant Professor (Guest Faculty), L.N.M. University, Darbhanga, Bihar.

सारांश- भारत में, 'जनजाति' शब्द का उपयोग विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए किया जाता है, और इसे संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक-दूसरे से संबंधित महसूस करते हैं और एक सामान्य पहचान साझा करते हैं। जनजाति के सदस्यों में आमतौर पर एक सामान्य पूर्वज, भाषा, रीति-रिवाज और पारंपरिक जीवनशैली होती है। जनजातियां आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, जो उनकी पहचान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राजस्थान की जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन आवश्यक तो है, परंतु इसे संतुलित और संवेदनशील ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह समझना ज़रूरी है कि परिवर्तन केवल बाह्य रूप में न होकर, भीतर से सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण, और सहभागिता आधारित नीति-निर्माण अत्यंत आवश्यक हैं। सामाजिक परिवर्तन की सफलता तभी संभव है जब जनजातियाँ स्वयं इसकी भागीदार बनें, न कि केवल दर्शक।

भूमिका- जनजाति, सामान्यतः, एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य वंश, संस्कृति, और भौगोलिक क्षेत्र को साझा करते हैं, और जो अपने स्वयं के समाज में रहते हैं। इसे एक कबीला या समुदाय भी कहा जा सकता है। भारत में, 'जनजाति' शब्द का उपयोग विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए किया जाता है, और इसे संवैधानिक रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक-दूसरे से संबंधित महसूस करते हैं और एक सामान्य पहचान साझा करते हैं। जनजाति के सदस्यों में आमतौर पर एक सामान्य पूर्वज, भाषा, रीति-रिवाज और पारंपरिक जीवनशैली होती है। जनजातियां आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं, जो उनकी पहचान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनजातियों का अपना सामाजिक संगठन, नियम और रीति-रिवाज होते हैं जो उनके सदस्यों के जीवन को नियंत्रित करते हैं।

भारत में जनजाति: भारत में, 'जनजाति' शब्द का उपयोग मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान में, 'अनुसूचित जनजाति' शब्द का उपयोग किया जाता है, और इन समुदायों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया जाता है। भारत में लगभग 705 अनुसूचित जनजातियां हैं, जो देश की जनसंख्या का 8.6% हैं।

1. राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ- राजस्थान, भारत का एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, जहाँ विविध जातीय समूहों में अनेक जनजातियाँ भी निवास करती हैं। ये जनजातियाँ सदियों से अपने पारंपरिक जीवनशैली, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए हैं। किंतु आधुनिक विकास, सरकारी योजनाएं, वैश्वीकरण और शिक्षा के प्रसार ने इन जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। यह शोध-पत्र राजस्थान की प्रमुख जनजातियों तथा उनमें हुए आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

राजस्थान में अनुसूचित जनजातियाँ राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 13.48% (जनगणना 2011) हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ निम्नलिखित हैं:

1.1 भील- भीलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि भील शब्द की उत्पत्ति 'वील' से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। भील लोग पारंपरिक रूप से धनुर्धर रहे हैं और शिकार इनकी जीवनशैली का मुख्य हिस्सा रहा है। इतिहासकारों के अनुसार भील द्रविड़ जातियों से संबंधित हैं और प्रारंभिक काल में ये पहाड़ी व वन क्षेत्रों में रहते थे।

भाषा एवं बोली: भील जनजाति की अपनी विशिष्ट बोली है, जिसे **भीली भाषा** कहा जाता है। यह भाषा गुजराती, राजस्थानी और मराठी भाषाओं का मिश्रण है। कई भील अब हिंदी भी बोलते हैं, विशेषतः शहरीकरण और शिक्षा के प्रभाव के कारण।

संस्कृति और परंपराएं: भील जनजाति की संस्कृति अत्यंत रंगीन और जीवंत है। इनके **त्योहार, नृत्य और संगीत** इनकी सांस्कृतिक पहचान हैं। **गवरी, भगोरिया, एवं होली** इनका प्रमुख पर्व है। भगोरिया पर्व होली से पहले मनाया जाता है, जिसमें युवक-युवतियाँ साथी चुनते हैं। भील स्त्री-पुरुष पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। महिलाएं रंग-बिरंगी साड़ियाँ व भारी गहने पहनती हैं जबकि पुरुष धोती, कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं।

आर्थिक स्थिति: भील जनजाति की आजीविका मुख्यतः **खेती, पशुपालन, वनों से उत्पाद संग्रह** और मजदूरी पर आधारित है। कुछ क्षेत्रों में अब ये छोटे-मोटे व्यवसायों या सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश भील अब भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं।

शिक्षा और सामाजिक स्थिति: शिक्षा के क्षेत्र में भील जनजाति अभी भी पीछे हैं। सरकारी योजनाओं के बावजूद इनकी साक्षरता दर अन्य समुदायों की तुलना में कम है। अशिक्षा, बाल विवाह, शराब की लत, और अंधविश्वास जैसी समस्याएँ आज भी भील समाज में व्याप्त हैं। हालांकि, कुछ भील युवा अब शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और सरकारी नौकरियों में भी चयनित हो रहे हैं।

सरकारी प्रयास एवं विकास: भील जनजाति को भारत सरकार द्वारा **अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)** के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आवास जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। **वन अधिकार अधिनियम, जनजातीय उपयोजनाएँ** तथा **एकलव्य विद्यालय** जैसी योजनाओं का उद्देश्य इन्हें मुख्यधारा में लाना है।

भील जनजाति भारत की सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न अंग है। इनकी पारंपरिक जीवनशैली, भाषा और कला हमें आदिवासी समाज की गहराई से परिचित कराती है। आवश्यकता इस बात की है कि इनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जाएँ ताकि वे भी समुचित विकास की दिशा में आगे बढ़ सकें।

1.2 मीणा- भारत के जनजातीय समाज में मीणा जनजाति का विशेष स्थान है। राजस्थान में यह जनजाति न केवल जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशिष्ट है। मीणा जनजाति को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की श्रेणी में रखा गया है और यह मुख्यतः पूर्वी राजस्थान के जिलों जैसे दौसा, सर्वाइ माधोपुर, जयपुर, टोंक, करौली और कोटा में निवास करती है।

इतिहास और उत्पत्ति: मीणा जनजाति की उत्पत्ति को लेकर कई मत प्रचलित हैं। एक मत के अनुसार, मीणाओं की उत्पत्ति मत्स्य जनपद से मानी जाती है जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। 'मीणा' शब्द की उत्पत्ति 'मत्स्य' या 'मीन' से हुई मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है 'मछली'। कुछ इतिहासकार मीणाओं को राजपूत वंश से संबंधित भी मानते हैं, जिन्होंने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों से संघर्ष के दौरान जंगलों में शरण ली और धीरे-धीरे जनजातीय रूप में परिवर्तित हो गए।

सामाजिक संरचना: मीणा समाज की सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक है। इसमें गोत्र व्यवस्था होती है और गोत्र के आधार पर विवाह संबंध वर्जित होते हैं। पारंपरिक रूप से मीणा जनजाति खेती और पशुपालन से जुड़ी रही है। समय के साथ ये लोग सरकारी नौकरियों, राजनीति और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। विशेष रूप से पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में मीणाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई है।

धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाज- मीणा जनजाति हिन्दू धर्म में विश्वास रखती है, लेकिन इनके पूजा-पाठ में आदिवासी परंपराओं की छाया स्पष्ट रूप से दिखती है। ये देवी-देवताओं, विशेषकर कुलदेवियों और ग्राम-देवताओं की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख त्योहार होली, दीपावली, तीज, और गणगौर होते हैं। साथ ही कुछ विशेष पारंपरिक मेले, जैसे बगराज मेला, मीणा समाज की पहचान हैं।

आर्थिक स्थिति और परिवर्तन : ऐतिहासिक रूप से मीणा समाज कृषि आधारित था। परंतु, आरक्षण नीति, शिक्षा के प्रसार और राजनीतिक जागरूकता ने इनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया है। अब मीणा समुदाय के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS जैसे उच्च पदों तक पहुँच चुके हैं। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ हिस्से गरीबी, अशिक्षा और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे जागरूक और संगठित जनजातियों में से एक है। इन्होंने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संगठित प्रयास किए हैं। आज मीणा समाज सामाजिक न्याय, शिक्षा और राजनीतिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। फिर भी, समाज के पिछड़े वर्गों को और प्रोत्साहन व सहायता की आवश्यकता है ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

1.3 गरसिया- गरसिया जनजाति राजस्थान की एक प्रमुख जनजातीय समूह है, जो मुख्यतः सिरोही, पाली, उदयपुर और आबू पर्वत के आस-पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जनजाति सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इनकी पहचान उनके विशेष पहनावे, रीति-रिवाज और जीवनशैली से की जाती है।

गरसिया जनजाति मूलतः राजपूत वंश की मानी जाती है जो समय के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में बसकर जनजातीय स्वरूप में ढल गई। 'गरसिया' शब्द 'गरास' (भूमि या जागीर) से बना है, जिसका अर्थ है – वह जो भूमि पर अधिकार रखता हो। इनकी उत्पत्ति के संबंध में जनश्रुतियाँ बताती हैं कि यह समुदाय मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूतों से जुड़ा हुआ है, जो मुगल आक्रमणों या सामाजिक संघर्षों के कारण पहाड़ों में जाकर बस गए।

जीवनशैली- गरासिया लोगों की जीवनशैली सरल, आत्मनिर्भर और प्रकृति-आधारित है। ये कृषि, पशुपालन और वनोपज पर निर्भर रहते हैं। घर मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं। स्त्रियाँ पारंपरिक परिधान जैसे घाघरा-ओढ़नी पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती और साफा पहनते हैं। सामुदायिक जीवन और पारस्परिक सहयोग इनकी विशेषता है।

धर्म और परंपरा- गरासिया जनजाति हिन्दू धर्म में आस्था रखती है लेकिन उनकी धार्मिक मान्यताएं लोक-धर्म से गहराई से जुड़ी होती हैं। वे देवी-देवताओं के साथ-साथ ग्राम-देवता, कुल-देवता और प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। 'गवरी' और 'भगोरिया' जैसे पर्व विशेष रूप से मनाए जाते हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु से जुड़ी परंपराएं भी विशिष्ट हैं, जिनमें पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य की अहम भूमिका होती है।

आधुनिक परिवर्तन- वर्तमान समय में गरासिया समाज में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे गए हैं। शिक्षा का प्रसार, सरकारी योजनाओं का लाभ और संचार माध्यमों के प्रभाव से युवाओं में आधुनिकता की ओर रुझान बढ़ा है। अब कई गरासिया युवक-युवतियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सरकारी सेवाओं और अन्य व्यवसायों में भी आ रहे हैं। हालांकि, इससे पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान पर आंशिक प्रभाव पड़ा है।

गरासिया जनजाति राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता की जीवंत मिसाल है। जहाँ एक ओर यह जनजाति अपने ऐतिहासिक गौरव और परंपराओं को सहेजे हुए है, वहीं दूसरी ओर वह आधुनिकता की ओर भी अग्रसर हो रही है। इस संतुलन को बनाए रखना ही उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती और आवश्यकता है।

1.4 सहारिया- राजस्थान की सहारिया जनजाति को भारत की विशेष पिछड़ी जनजातियों (Particularly Vulnerable Tribal Groups - PVTGs) में शामिल किया गया है। यह जनजाति मुख्यतः बारां, कोटा, सर्वाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में निवास करती है। सहारिया शब्द की उत्पत्ति संभवतः 'सहारा' या 'सहारी' (वनों में रहने वाला) से हुई मानी जाती है। इनका जीवन सदियों से वनों पर आधारित रहा है।

सहारिया जनजाति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि ये लोग आर्य सभ्यता के पहले के निवासी हैं। इनका संबंध निषाद, भील या अन्य आदिम जातियों से जोड़ा जाता है। इतिहास में इनकी पहचान एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी और श्रमशील जनसमुदाय के रूप में रही है, जो जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे।

जीवन शैली- परंपरागत रूप से सहारिया जनजाति झोपड़ीनुमा घरों में रहती है जो मिट्टी, लकड़ी और पत्तों से बने होते हैं। इनकी सामाजिक संरचना कबीलाई होती है और प्रमुख निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। महिलाएँ और पुरुष दोनों ही कृषि, मजदूरी एवं वनों से उपज एकत्र करने में भाग लेते हैं। इनकी भाषा 'हाड़ी' कही जाती है, जो राजस्थानी और हिंदी के मेल से बनी है।

धर्म और परंपरा- सहारिया जनजाति मूलतः प्रकृति-पूजक है। वे पेड़ों, नदियों, पशुओं और पूर्वजों की पूजा करते हैं। हालांकि आधुनिक समय में इन पर हिंदू धर्म का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। होली, दीपावली, तीज, और गणगौर जैसे पर्व इनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इनके प्रमुख पारंपरिक त्योहारों में 'सहारिया नृत्य' और गीत विशेष रूप से शामिल होते हैं।

आर्थिक जीवन और व्यवसाय- परंपरागत रूप से सहारिया समुदाय वनों पर निर्भर रहा है – लकड़ी काटना, जड़ी-बूटी एकत्र करना, शिकार, और मछली पकड़ना इनकी जीविका के प्रमुख साधन थे। वर्तमान में कृषि मजदूरी, निर्माण कार्यों में श्रमिक, ईंट-भट्टों में काम तथा मनरेगा जैसी योजनाओं में रोजगार इनकी आजीविका का आधार बन चुके हैं। कुछ सहारिया आज सीमित रूप में स्वयं की कृषि भी करने लगे हैं।

आधुनिक परिवर्तन- स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा सहारिया जनजाति के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चलाई गई हैं जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, और आजीविका के लिए विशेष सहायता। इसके बावजूद यह समुदाय आज भी अत्यधिक निर्धनता, कुपोषण, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव का शिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में धीमी प्रगति हुई है लेकिन नए पीढ़ी के युवा अब स्कूलों और कॉलेजों की ओर बढ़ने लगे हैं। महिलाएँ भी अब स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं से जुड़ रही हैं।

सहारिया जनजाति राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा अंग है। परंपरागत जीवनशैली और आधुनिक परिवर्तनों के बीच संतुलन बनाते हुए यह समुदाय संघर्ष कर रहा है। आवश्यकता है कि इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के मुख्यधारा से अधिक प्रभावी रूप से जोड़ा जाए, ताकि यह समुदाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके।

डामोर, कात्योर, बंजारा, कालीबेलिया जनजाति- राजस्थान की जनजातियाँ भारत की सांस्कृतिक विविधता की जीवंत मिसाल हैं। कात्योर, बंजारा और कालीबेलिया जैसी जनजातियाँ न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि उनकी जीवनशैली, धर्म, परम्पराएँ और व्यवसाय में हुए आधुनिक परिवर्तन भी अध्ययन योग्य हैं।

1.5. कात्योर जनजाति:- कात्योर जनजाति का उल्लेख प्राचीन काल में "कत्यूर" या "कत्युरी" वंश के रूप में मिलता है जो कभी उत्तराखंड और राजस्थान में फैला हुआ था। यह जनजाति शौर्य और स्वाधीनता की प्रतीक मानी जाती रही है।

जीवन शैली व धर्म: कात्योर जन साधारणतः हिंदू धर्म का पालन करते हैं, परन्तु इनके देवी-देवता स्थानीय मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। जीवन में सामूहिकता और पारिवारिक एकता को विशेष महत्व दिया जाता है।

व्यवसाय व परिवर्तन: पहले ये लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे, लेकिन अब ये सरकारी सेवाओं, मजदूरी और व्यापार में भी भाग ले रहे हैं।

1.6. बंजारा जनजाति: बंजारा मूलतः एक घुमंतू जनजाति है, जिनका इतिहास मध्यकालीन भारत में व्यापार और परिवहन से जुड़ा हुआ रहा है। इन्हें "भारत के प्राचीन व्यापारी" भी कहा जाता है।

जीवन शैली व परंपरा- ये लोग पारंपरिक रूप से बैलगाड़ियों के माध्यम से अनाज, नमक और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। इनकी बोली "गोरबोली" कही जाती है। धार्मिक दृष्टि से ये हिन्दू होते हैं, परंतु अपनी विशिष्ट रीति-रिवाज बनाए रखते हैं।

आधुनिक परिवर्तन: स्थायित्व की ओर बढ़ते हुए बंजारों ने शिक्षा, राजनीतिक चेतना और सामाजिक सुधार की दिशा में प्रगति की है। अब ये कृषि, निर्माण कार्य, सरकारी योजनाओं से भी जुड़े हुए हैं।

1.7. कालीबेलिया जनजाति: कालीबेलिया जाति को सांपों से जोड़कर देखा जाता है। ये परंपरागत रूप से साँप पकड़ने और उनके इलाज से जुड़े रहे हैं। "कालबेलिया" नृत्य, जो कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, इसी समुदाय से निकला है।

जीवन शैली व धर्म: कालीबेलिया लोग हिन्दू धर्म के अनुयायी होते हैं, परंतु इनका विश्वास नागदेवता और अन्य लोक-देवताओं पर अधिक होता है। जीवन शैली अत्यंत रंगीन, संगीत और नृत्य से भरपूर होती है।

आधुनिक परिवर्तन: अब यह समुदाय पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक प्रदर्शन और पर्यटन से जुड़ गया है। महिलाएँ "कालबेलिया नृत्य" के माध्यम से देश-विदेश में अपनी पहचान बना रही हैं। काल्योर, बंजारा और कालीबेलिया जनजातियाँ राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का अनमोल हिस्सा हैं। आधुनिक समय में ये जनजातियाँ शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक चेतना में वृद्धि के साथ अपने परंपरागत मूल्यों को भी सहेजे हुए हैं। इनका अध्ययन न केवल अतीत को जानने का माध्यम है, बल्कि सामाजिक समरसता की दिशा में भी एक कदम है।

2. जनजातीय समाज की पारंपरिक संरचना और आधुनिक परिवर्तन-

राजस्थान भारत का एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है जहाँ जनजातीय समुदायों की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर जैसी जनजातियाँ इस क्षेत्र की पारम्परिक सामाजिक संरचना में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इन जनजातियों की पारम्परिक जीवनशैली, सामाजिक संबंध, मान्यताएँ एवं जीवन मूल्यों की गहरी जड़ें सामूहिकता, प्रकृति-आधारित जीवन एवं जातीय परंपराओं में निहित रही हैं।

पारम्परिक संरचनाएं: राजस्थान की जनजातियाँ आदिकाल से ही आत्मनिर्भर, सामूहिक एवं मानता-आधारित सामाजिक संरचना में जीवन व्यतीत करती रही हैं। परिवार और कबीले (क्लान) जनजातीय समाज की बुनियादी इकाइयाँ होती हैं।

इनमें निर्णय लेने की प्रक्रिया पंचायतों या बुजुर्गों की सलाह पर आधारित होती थी। विवाह, मृत्यु, जन्म, कृषि कार्य, शिकार, और त्यौहार जैसे सभी सांस्कृतिक आयोजन सामूहिक रूप से मनाए जाते थे, जिनमें सामाजिक एकता और पारस्परिक सहयोग पर विशेष बल दिया जाता था। स्त्रियों की भूमिका भी अपेक्षाकृत अधिक स्वायत्त और सम्मानजनक रही है, विशेषकर भील और गरासिया जनजातियों में। भूमि और जंगल से उनका सीधा संबंध रहा है, जो उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाता है।

3. आधुनिक सामाजिक परिवर्तन के आधार:

स्वतंत्रता के बाद संविधान द्वारा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त विशेष अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं ने जनजातीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ की। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत जनजातियों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिला जिससे उनकी निर्णय प्रक्रिया में अधिकारिता बढ़ी।

साथ ही, शिक्षा के प्रचार-प्रसार, शहरीकरण, मीडिया की पहुँच, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भागीदारी, और सरकारी योजनाओं (जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006, TSP योजनाएं) ने जनजातीय जीवन में आधुनिकता का प्रवेश सुनिश्चित किया। व्यावसायिक बदलाव, रोजगार के नए अवसर, और कृषि से अन्य व्यवसायों की ओर प्रवृत्ति ने पारम्परिक संरचनाओं को आंशिक रूप से प्रभावित किया है।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण: समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह परिवर्तन "संरचनात्मक कार्यात्मकतावाद" (Structural Functionalism) के अंतर्गत सामाजिक तंत्र में संतुलन की प्रक्रिया को दर्शाता है। एमिल डुर्खीम के अनुसार, जब समाज में आधुनिक मूल्य और संस्थाएँ प्रवेश करती हैं, तो पारम्परिक संरचनाएँ या तो अनुकूलन करती हैं या परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त "संघर्ष सिद्धांत" (Conflict Theory) के अनुसार, संसाधनों की असमानता एवं बाह्य समाज से टकराव भी इन परिवर्तनों का कारण बना है, विशेषकर जब जनजातीय अधिकारों का हनन हुआ। राजस्थान की जनजातियों की पारम्परिक संरचनाएं आज भी अनेक क्षेत्रों में जीवित हैं, लेकिन आधुनिक परिवर्तन ने उनमें नया आयाम जोड़ा है। यह परिवर्तन न तो पूर्ण रूप से विघटनकारी है, न ही पूर्ण रूप से सकारात्मक। आवश्यकता इस बात की है कि आधुनिक विकास के साथ जनजातीय सांस्कृतिक अस्मिता और पारम्परिक मूल्य संरक्षित रहें।

3.1. सांस्कृतिक व आर्थिक संरचना-

राजस्थान, भारत का एक प्रमुख राज्य, अपनी विविध सांस्कृतिक परंपराओं और जनजातीय जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातियाँ जैसे - भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कटकड़, आदि सदियों से अपने विशिष्ट सांस्कृतिक और आर्थिक स्वरूप के साथ समाज का हिस्सा रही हैं। इनकी सांस्कृतिक व आर्थिक संरचना पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना न केवल इनकी जीवन पद्धति को समझने में सहायक है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास योजनाओं की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। राजस्थान की जनजातियाँ अपनी परंपरागत संस्कृति, लोकगीत, नृत्य, धार्मिक विश्वासों और रीति-रिवाजों के लिए जानी जाती हैं। भीलों में 'गवरी' नृत्य, मीणाओं में 'कौरव-पांडव' की लोकगाथाएं, और गरासियों में 'भवार्ई' जैसे नाट्य-रूप सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं। इन जनजातियों के धार्मिक विश्वास प्रकृति पूजक होते हैं, जहाँ वे वनों, पहाड़ों, सूर्य, चंद्रमा और ग्राम-देवताओं की पूजा करते हैं।

इनकी सामाजिक संरचना सामूहिकता, सहयोग और परंपरागत नेतृत्व (जैसे - पंचायत या बुजुर्गों की सलाह) पर आधारित होती है। विवाह, मृत्यु, जन्म आदि संस्कारों में सामूहिक भागीदारी इनकी एकता को दर्शाती है। लोक कलाओं, हस्तशिल्प, चित्रकला और पारंपरिक वस्त्रों में इनकी संस्कृति की गहरी छाप होती है।

आर्थिक संरचना: आर्थिक दृष्टि से राजस्थान की जनजातियाँ पारंपरिक रूप से कृषि, वनोपज संग्रहण, पशुपालन और मजदूरी पर निर्भर रही हैं। वर्षा पर आधारित कृषि, असिंचित भूमि, सीमित संसाधन और शिक्षा की कमी इनके आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं। भील और सहरिया जनजातियाँ वनों से लकड़ी, जड़ी-बूटी, शहद आदि संग्रह करती हैं, जबकि मीणा और गरासिया कुछ हद तक खेती और पशुपालन में लगे हैं।

सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएँ जैसे वन अधिकार अधिनियम, टीएसपी (जनजातीय उप-योजना), और मनरेगा आदि ने इनकी आर्थिक स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ किया है, लेकिन सामाजिक रूप से अब भी वे बहिष्कृत और सीमांत वर्ग में गिने जाते हैं।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण: समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान की जनजातियाँ एक विशिष्ट "जनजातीय चेतना" और "सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता" को दर्शाती हैं। संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण (Structural-Functional Approach) के अनुसार इनकी संस्कृति समाज में संतुलन बनाए रखने में सहायक रही है। वहीं संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory) यह इंगित करता है कि संसाधनों की असमानता, जातिवाद और राजनीतिक उपेक्षा ने इन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बनाए रखा है।

राजस्थान की जनजातियाँ आज भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए समावेशी और स्थानीय संवेदनशील विकास की आवश्यकता है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से इनकी संरचना को समझना नीतिगत सुधारों का मूल आधार बन सकता है।

3.2. सरकारी योजनाओं का परभाव एवं रोजगार की प्रकृति में परिवर्तन-

राजस्थान, जनजातीय विविधता से परिपूर्ण एक राज्य है जहाँ मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, मोर जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। पारंपरिक रूप से ये जनजातियाँ कृषि, वनोपज, पशुपालन तथा कारीगरी पर निर्भर थीं। स्वतंत्रता के उपरांत एवं विशेष रूप से 1990 के बाद, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इन जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएँ आरंभ की गईं, जिनका उद्देश्य था—आर्थिक असमानता को कम करना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में समान अवसर प्रदान करना।

3.3. सरकारी योजनाओं का प्रभाव:

जनजातियों के उत्थान हेतु लागू प्रमुख योजनाओं में *ट्राइबल सब-प्लान (TSP)*, *वन बंधु कल्याण योजना*, *एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल*, *राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)*, *मनरेगा*, *आदिवासी छात्रवृत्ति योजना* आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास (सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल) हुआ है। शिक्षा में वृद्धि विशेष रूप से मीणा और गरासिया समुदायों में देखी गई है।

सामाजिक दृष्टि से, महिलाओं की सहभागिता और साक्षरता दर में सुधार हुआ है। जनजातीय युवाओं के बीच आधुनिक जीवनशैली एवं मोबाइल तकनीक की पहुँच बढ़ी है। इससे पारंपरिक जीवनशैली में परिवर्तन तो हुआ है, परंतु नई संभावनाएँ भी जन्मी हैं।

3.4. रोजगार में परिवर्तन:

पहले जहाँ जनजातियाँ केवल कृषि, श्रम कार्य एवं वन पर निर्भर थीं, अब मनरेगा, स्वयं सहायता समूहों, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कई जनजातीय युवक अब शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं—निर्माण कार्य, ड्राइवर, सुरक्षागार्ड, या दुकानों में काम करते हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, बागवानी आदि से आत्मनिर्भरता आई है। महिलाओं में विशेष रूप से *सिलाई-कढ़ाई*, *सब्जी उत्पादन*, *डेयरी* आदि में सहभागिता बढ़ी है।

4. समस्याएँ एवं चुनौतियाँ:

हालाँकि सरकारी योजनाएँ लाभकारी रही हैं, परंतु इनका प्रभाव एकसमान नहीं है। दूरदराज़ के क्षेत्रों में जानकारी की कमी, भ्रष्टाचार, दलालों की भूमिका एवं योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन न होने से कई जनजातियाँ लाभ से वंचित रह जाती हैं। कुछ समुदायों में अभी भी बालविवाह, शराब की लत, शिक्षा से दूरी जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी योजनाओं ने राजस्थान की जनजातियों में सकारात्मक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की नींव रखी है। हालाँकि यह प्रक्रिया धीमी है, परंतु इसके प्रभाव दूरगामी हैं। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा का प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता बढ़ाई जाए, तो ये जनजातियाँ भी मुख्यधारा में पूरी शक्ति से शामिल हो सकती हैं।

राजस्थान, जहाँ विविध संस्कृति और परंपराएँ विद्यमान हैं, वहीं इसकी जनजातियाँ—जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि—अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। परंतु पिछले कुछ दशकों में शिक्षा, आधुनिकता और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से इन जनजातियों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है। इस शोधपत्र में हम इन तीनों तत्वों के प्रभाव का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे।

4.1. शिक्षा और जनजातियाँ: राजस्थान की जनजातियाँ ऐतिहासिक रूप से औपचारिक शिक्षा से वंचित रही हैं। सामाजिक बहिष्कार, गरीबी, दूरस्थ भूगोल और अशिक्षा की पीढ़ीगत परंपरा इसके मुख्य कारण रहे। परंतु सरकार की *सरवा शिक्षा अभियान*, *एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय* तथा *आदिवासी छात्रवृत्ति योजना* जैसी पहलों से जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे सुधरा है। युवा पीढ़ी अब प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पहुँच रही है, जिससे उनमें सामाजिक चेतना और आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है।

4.2. आधुनिकता और सांस्कृतिक बदलाव:

शिक्षा के प्रसार और तकनीकी विकास के साथ जनजातीय समाजों में आधुनिकता का प्रवेश हुआ है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, टेलीविजन और शहरी संपर्क ने पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव लाया है। पारंपरिक कृषि, शिकार और हस्तशिल्प के स्थान पर अब अनेक युवा नौकरी, व्यापार और स्वरोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हालाँकि इससे कुछ सांस्कृतिक संकट भी उत्पन्न हुए हैं, परंतु यह परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता के संकेतक माने जा सकते हैं।

4.3. महिला सशक्तिकरण:

जनजातीय समाजों में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में स्वतंत्र रही है, परंतु उन्हें भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी झेलनी पड़ी। अब सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है। *महिला स्वयं सहायता समूह (SHG)*, कुटीर उद्योगों और सरकारी योजनाओं (जैसे उज्वला योजना, सखी केंद्र) के माध्यम से वे परिवार और समाज में अहम भूमिका निभा रही हैं।

राजस्थान की जनजातियों में शिक्षा, आधुनिकता और महिला सशक्तिकरण ने सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत की है। यद्यपि अनेक चुनौतियाँ—जैसे सामाजिक भेदभाव, गरीबी और संसाधनों की कमी—अभी भी मौजूद हैं, फिर भी समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो यह परिवर्तन जनजातीय समाजों के पुनरुत्थान और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5. जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियाँ

राजस्थान, भारत का एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, जहाँ अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं, जैसे — भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर आदि। ये जनजातियाँ पारंपरिक जीवनशैली, रीति-रिवाजों और सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी रही हैं। हालाँकि, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर वर्तमान तक इन समुदायों में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई है। यह परिवर्तन शिक्षा, शहरीकरण, सरकारी योजनाओं, और वैश्वीकरण के प्रभाव से प्रेरित है। परंतु यह प्रक्रिया अनेक सामाजिक चुनौतियों से भी घिरी हुई है।

5.1. सांस्कृतिक अस्मिता की चुनौती:

जनजातियाँ अपने पारंपरिक रीति-रिवाज, भाषा और जीवनशैली को अपनी पहचान मानती हैं। सामाजिक परिवर्तन, विशेषकर मुख्यधारा समाज में समावेश की प्रक्रिया, इनकी सांस्कृतिक अस्मिता को खतरे में डालती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, वेशभूषा और जीवनशैली ने युवाओं में पारंपरिक मूल्यों से दूरी पैदा की है, जिससे सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो रहा है।

5.2. शिक्षा और जागरूकता की कमी:

हालाँकि शिक्षा की पहुँच बढ़ी है, लेकिन अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों की गुणवत्ता, शिक्षक की अनुपस्थिति, और बच्चों का श्रम में संलग्न होना अभी भी बड़ी बाधा है। शिक्षा के अभाव में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ पाती, जिससे वे शोषण और भेदभाव का शिकार होते हैं।

5.3. सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता:

आज भी कई क्षेत्रों में जनजातियों के साथ जातिगत भेदभाव और सामाजिक उपेक्षा होती है। उन्हें 'अच्छूत' या 'नीच' समझा जाता है, जिससे सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया बाधित होती है। यह भेदभाव न केवल बाहरी समाज से, बल्कि कभी-कभी आपस में भी देखा गया है, जहाँ संपन्न जनजातीय वर्ग निर्धन वर्ग को दबाते हैं।

5.4. राजनीतिक उपेक्षा और प्रतिनिधित्व का अभाव:

हालांकि संविधान में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण और विशेष अधिकार दिए गए हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर उनका समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है। पंचायतों और स्थानीय प्रशासन में उनकी आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है। इसके चलते जनजातीय हितों की उपेक्षा होती है।

5.5. आधुनिकता और बाजारवाद का प्रभाव:

वैश्वीकरण और बाजारीकरण ने जनजातीय समाज में उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे उनके सामूहिक जीवन और सहयोग की परंपरा कमजोर पड़ी है। इससे सामाजिक विघटन और पारिवारिक टूटन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

6. निष्कर्ष एवं सुझाव:

राजस्थान की जनजातियों में सामाजिक परिवर्तन आवश्यक तो है, परंतु इसे संतुलित और संवेदनशील ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह समझना ज़रूरी है कि परिवर्तन केवल बाह्य रूप में न होकर, भीतर से सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हो। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता, सांस्कृतिक संरक्षण, और सहभागिता आधारित नीति-निर्माण अत्यंत आवश्यक हैं। सामाजिक परिवर्तन की सफलता तभी संभव है जब जनजातियाँ स्वयं इसकी भागीदार बनें, न कि केवल दर्शक।

राजस्थान की जनजातियाँ जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी रही हैं। परंतु बीते कुछ दशकों में सरकारी योजनाओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं जागरूकता अभियानों के कारण इन जनजातियों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन बढ़ा है, किंतु गुणवत्ता एवं उच्च शिक्षा की पहुँच अब भी सीमित है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, परन्तु प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ दूर-दराज़ के क्षेत्रों में अभी भी अपर्याप्त हैं। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन तो हुआ है, परंतु वे अब भी सामाजिक कुरीतियों, घरेलू हिंसा और निर्णयों से वंचित हैं। भूमि अधिकार को लेकर संघर्ष अब भी जारी है, जिससे विस्थापन और असुरक्षा बनी रहती है। रोजगार के अवसर सीमित हैं और अधिकांश जनजातियाँ आज भी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

6.1. सुझाव:

शिक्षा: जनजातीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, और मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।

स्वास्थ्य: मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और आदिवासी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास कार्यक्रम, और कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना से महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है।

भूमि अधिकार: वनाधिकार अधिनियम (2006) का प्रभावी क्रियान्वयन और कानूनी जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।

रोजगार: पारंपरिक शिल्प, कृषि आधारित उद्योग, और मनरेगा जैसी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन जनजातीय युवाओं के लिए आजीविका का साधन बन सकता है।

इस प्रकार समन्वित प्रयासों से राजस्थान की जनजातियाँ आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकती हैं।

7. संदर्भ:

1. **भारत सरकार (2011)** जनगणना 2011/भारत का रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली।
 - <http://censusindia.gov.in>
2. **Ministry of Tribal Affairs, Government of India.**
 - Annual Reports (2010–2023)
 - Tribal Sub Plan Guidelines I

- Vanbandhu Kalyan Yojana विवरण।
- <https://tribal.nic.in>
- 3. **राजस्थान जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।**
 - राजस्थान की अनुसूचित जनजातियाँ: सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (2018)
 - Tribal Research Institute publications.
 - <https://trirajasthan.in>
- 4. **Rajasthan Scheduled Tribe Finance and Development Corporation**
 - Various scheme guidelines and performance reports.
 - <https://rstfdc.rajasthan.gov.in>
- 5. **Sharma, O.P. (2015) राजस्थानी लोक संस्कृति और जनजातियाँ।** जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
- 6. **Nandini Sundar (2015) Scheduled Tribes in India: Development and Change.** Oxford University Press, New Delhi.
- 7. **Xaxa, Virginius (2008) State, Society, and Tribes: Issues in Post-Colonial India.** Pearson Longman, New Delhi.
- 8. **Béteille, André (1998) "The Idea of Indigenous People."** *Current Anthropology*, Vol. 39, No. 2.
- 9. **Rath, Govind Chandra (Ed.). (2006) Tribal Development in India: The Contemporary Debate.** Sage Publications, New Delhi.
- 10. **Planning Commission (भारत योजना आयोग)**
 - *Twelfth Five Year Plan Document (2012–17): Tribal Development Chapter.*
 - Archived at: <https://niti.gov.in/planningcommission.gov.in>
- 11. **UNESCO Intangible Cultural Heritage List.**
 - Kalbelia Dance of Rajasthan.
 - <https://ich.unesco.org/en/RL/kalbelia-folk-songs-and-dances-of-rajasthan-00340>
- 12. **Government of Rajasthan.**
 - *Tribal Area Sub-Plan Annual Reports.*
 - Department of Tribal Area Development.
 - <https://www.tad.rajasthan.gov.in>
- 13. **ILO (International Labour Organization)**
 - *Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) – for comparative context.*
- 14. **World Bank (2020)**